स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश।

प्रेस नोट संख्या, 373, दिनांक 18—12—2024

थाना ठठिया, जनपद कन्नौज से मु0अ0सं0—215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांकः 17—12—2024 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना ठठिया जनपद कन्नौज से मु0अ0सं0—215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके को जनपद कौशाम्बी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके पुत्र सरवन कठेरिया निवासी बुधौली, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात। उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय— दिनांक 17—12—2024 को समय लगभग 18:30 बजे बसेरा ढावा, मूरतगंज, जनपद कौशाम्बी।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के कुख्यात/सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के निर्देशन में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री राहुल परमार व मुख्य आरक्षी मोहर सिंह द्वारा पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमो से सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि वर्ष 2024 में जनपद कन्नौज के थाना ठठिया में पंजीकृत मु0अ0सं0—215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित लुटेरा व रू0 25000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके दि0 17—12—2024 को बसेरा ढावा, मूरत गंज, जनपद कौशाम्बी में किसी से मिलने वाला है एवं वहीं से कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उ0नि0 श्री राहुल परमार मय हमराही मु0आ0 पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी, मु0आ0 मोहर सिंह, मु0आ0 देवेश द्विवेदी, आरक्षी सत्यम यादव, आरक्षी चालक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान बसेरा ढावा, मूरतगंज, जनपद कौशाम्बी पहुॅचें जहॉ से अभियुक्त उपरोक्त को मुखबिर की निशादेही पर आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके ने पूछताछ पर बताया कि उसके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग इसी वर्ष थाना ठठिया, जनपद कन्नौज में पंजीकृत हुआ था, जिसमें उसके ऊपर रू0 25000/–का पुरस्कार भी घोषित हो गया था। इसी डर व गिरफ्तारी से बचने के लिये छिप–छिपाकर रह रहा था। आज दिनांक 17–12–2024 को वह पुलिस से बचने के लिये झारखण्ड जाने के लिये आया था।

अभियुक्त अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके के बिरूद्ध थाना थाना ठठिया, जनपद कन्नौज से पंजीकृत मु0अ0सं0–215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का वांछित एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसको दि0 18–12–2024 को थाना ठठिया, जनपद कन्नौज में समयः 00:07 बजे दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना ठठिया जनपद कन्नौज से की जा रही है।

<u>अबतक ज्ञात आपराधिक इतिहास अभियुक्त अश्वनी कुमार कठेरिया</u>

1. मु0अ0सं0–242/23 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0–445/23 धारा 392 भा0द0वि0 थाना ठठिया, जनपद कन्नौज
3. मु0अ0सं0–05/24 धारा147/307/323/34/436/506 /511 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा, कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0–215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना ठठिया, जनपद कन्नौज